

18-09-2014

परिवादी सह श्री राजकुमार सोनकुसरे अधिवक्ता ।

आरोपीगण सह श्री शिवेन्द्र उइके अधिवक्ता ।

परिवादी चंद्रकला के द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-320(2) दंड प्रक्रिया संहिता का इस आषय से पेश किया गया कि उसके आरोपीगण उसके ही गांव के निवासी है तथा उनसे अब संबंध मधुर हो चुके है। उसने आरोपीगण से बिना डर, दबाव, लालच के स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा कर लिया है। अतः राजीनामा करने की अनुमति चाही गई है ।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि परिवादी चंद्रकला की ओर से प्रस्तुत परिवाद आरोपीगण के विरुद्ध धारा-294, 323, 506 भाग-2 भा.दं.वि. के आरोप में पंजीबद्ध किया गया है। आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध धारा-294, 323, 506 भाग-2 भा.दं.वि का आरोप शमनीय व न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है। परिवादी ने आरोपीगण से बिना डर, दबाव, लालच के स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा करना एवं उनके संबंध मधुर हो जाना व्यक्त किया गया है। उभयपक्ष के संबंध मधुर बने रहे इसलिए फरियादी/परिवादी चंद्रकला को आरोपीगण से राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

इसी स्तर पर उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित राजीनामा अंतर्गत धारा-320 दंड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया। उभयपक्ष राजीनामा करने में सक्षम है। राजीनामा करने में कोई विधिक रुकावट नहीं है। प्रस्तुत राजीनामा विधिविरुद्ध ना होने से स्वीकार किया जाता है। फलतः आरोपी-फूलभान, ढालचंद एवं संपत्तियाबाई को धारा-294, 323, 506 भाग-2 भा.दं.वि. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अविलंब अभिलेखागार में जमा किया जावे।

(सिराज अली)

न्यायिक मजि0प्रथम श्रेणी, बैहर